

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2014—फाल्गुन 1, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्र. एफ 19-1-2014-सत्रह-मेडि.-1.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 59 के उप नियम (1) उपबंध के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को उक्त नियम के भाग-6 के प्रयोजन के लिए उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर के क्षेत्रों के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

1. श्री योगेश गुप्ता
2. श्री संजीव जादोन
3. श्री अजीत कुमार जैन
4. श्री दिलीप अग्रवाल
5. श्रीमती अनुमेहा विवेक कौशल
6. श्री विवेकानन्द यादव
7. श्री किरण कुमार मगरे
8. श्री अजय ठाकुर
9. श्री कपिल नागर
10. श्री अशोक गोयल
11. श्रीमती वंदना कोष्ठी
12. श्री मनीष मसीह
13. कुमारी गीतम पटोदिया
14. श्रीमती मनीषा धुर्वे

No. F 19-1-2014-XVII-Medi-1.—In pursuance of the provision of sub rule (1) of rule 59 of the Drugs & Cosmetics Rules, 1945, the State Government, hereby, appoints following Drugs Inspectors working in the Food and Drug Administration, Madhya Pradesh, to be the Licensing Authority for the purpose of Part VI of the said rules for the areas within their respective jurisdiction, namely :—

1. Shri Yogesh Gupta
2. Shri Sanjeev Jadon
3. Shri Ajit Kumar Jain
4. Shri Dilip Agrawal
5. Smt. Anumeha Vivek Kaushal
6. Shri Vivekand Yadav
7. Shri Kiran Kumar Magare
8. Shri Ajay Thakur
9. Shri Kapil Nagar
10. Shri Ashok Goyal
11. Smt. Vandana Koshti
12. Shri Maneesh Masih
13. Ku. Geetam Pathodia
14. Smt. Maneesha Dhurve

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.